

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-22/2015-

14 5 आवंटन/कृ०, पटना, दिनांक 01/12/2015

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

Mail/Fax

जिला पदाधिकारी, पटना/ नालन्दा/भोजपुर/ बक्सर/रोहतास/कैमूर (भभुआ)/ गया /जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/सारण/ सीवान /गोपालगंज / मुजफ्फरपुर /पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण /सीतामढ़ी/ शिवहर/वैशाली / दरभंगा/ मधुबनी /समस्तीपुर/बेगूसराय/मुंगेर/लखीसराय/ शेखपुरा/जमुई /भागलपुर /बांका/ सहरसा /सुपौल/मधेपुरा/पूर्णिमा/किशनगंज/ अररिया /कटिहार /खगड़िया।

विषय :

वर्ष 2015-16 में पूर्व में खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत 315.00 करोड़ रु० के अधीन रबी फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में 115.00 करोड़ रु० की अनुमति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 18.40 करोड़ रुपये (अठारह करोड़ चालीस लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹18,39,98,000 (अठारह करोड़ उनचालीस लाख अन्दावनवे हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5601 दिनांक-28.11.2015 के द्वारा वर्ष 2015-16 में पूर्व में खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत 315.00 करोड़ रु० के अधीन रबी फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में 115.00 करोड़ रु० की अनुमति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 18.40 करोड़ रुपये (अठारह करोड़ चालीस लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹18,39,98,000 (अठारह करोड़ उनचालीस लाख अन्दावनवे हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त कुल ₹18,39,98,000 (अठारह करोड़ उनचालीस लाख अन्दावनवे हजार रुपये) मात्र का व्यय बजटशीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0125-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड-P2401007890125, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2015-16 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

6. यह राशि सिर्फ रबी फसलों की सिंचाई हेतु आवंटित है। इस आवंटित राशि से खरीफ फसलों के सिंचाई में व्यय नहीं किया जाय। खरीफ फसलों के सिंचाई हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो अलग से मांग पत्र भेजें।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 145 आवंटन

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :

कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.

विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक

/कृ०, पटना, दिनांक ०१/१२/२०१५

ज्ञापांक 145 आवंटन

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ निदेशक, पी० पी० एम०,
बिहार, पटना/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य)
योजना कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप
निदेशक, (शष्य) बीज कृषि विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप
कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना
को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
/कृ०, पटना, दिनांक ०१/१२/२०१५

ज्ञापांक 145 आवंटन

प्रतिलिपि : विवरणी सहित उप निदेशक, (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर,
कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार
पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
/कृ०, पटना, दिनांक ०१/१२/२०१५

निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

खरीफ 2015-16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान कार्यक्रम अंतर्गत रबी फसलों के सिंचाई के लिए
(अनुसूचित जाति के लाभुकों) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5601 दिनांक-28.11.2015 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007890125

(राशि रुपये में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कुल स्वीकृत राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4
1	जिला पदाधिकारी, पटना	70,20,000	70,20,000
2	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	65,82,000	65,82,000
3	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	57,94,000	57,94,000
4	जिला पदाधिकारी, बक्सर	54,22,000	54,22,000
5	जिला पदाधिकारी, रोहतास	90,31,000	90,31,000
6	जिला पदाधिकारी, कैमूर (गमुआ)	49,50,000	49,50,000
7	जिला पदाधिकारी, गया	55,86,000	55,86,000
8	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	23,40,000	23,40,000
9	जिला पदाधिकारी, अरवल	15,42,000	15,42,000
10	जिला पदाधिकारी, नवादा	37,63,000	37,63,000
11	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	57,14,000	57,14,000
12	जिला पदाधिकारी, सारण	69,66,000	69,66,000
13	जिला पदाधिकारी, सिवान	64,53,000	64,53,000
14	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	61,35,000	61,35,000
15	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	78,24,000	78,24,000
16	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	83,95,000	83,95,000
17	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण	57,09,000	57,09,000
18	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	45,42,000	45,42,000
19	जिला पदाधिकारी, शिवहर	12,18,000	12,18,000
20	जिला पदाधिकारी, वैशाली	42,51,000	42,51,000
21	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	55,31,000	55,31,000
22	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	54,41,000	54,41,000
23	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	57,00,000	57,00,000
24	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	49,32,000	49,32,000
25	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	16,62,000	16,62,000
26	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	21,01,000	21,01,000
27	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	16,94,000	16,94,000
28	जिला पदाधिकारी, जमुई	14,75,000	14,75,000
29	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	40,17,000	40,17,000
30	जिला पदाधिकारी, बांका	29,05,000	29,05,000
31	जिला पदाधिकारी, सहरसा	52,82,000	52,82,000
32	जिला पदाधिकारी, सुपौल	55,07,000	55,07,000
33	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	52,17,000	52,17,000
34	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	58,08,000	58,08,000
35	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	30,46,000	30,46,000
36	जिला पदाधिकारी, अररिया	52,41,000	52,41,000
37	जिला पदाधिकारी, कटिहार	48,57,000	48,57,000
38	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	43,45,000	43,45,000
	कुल	18,39,98,000	18,39,98,000

कुल-आवंटित राशि-(अठारह करोड़ उनचालीस लाख अन्तानवे हजार रु०) मात्र।

(प्रभु राम)
निदेशक (प्रशासन) सह-अपर
सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।